श्रम विभाग उ0प्र0 की वित्तीय वर्ष , 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 की प्रमुख उपलब्धियां

1-औद्योगिक श्रम स्थिति

आलोच्य अवधि में प्रदेश में औद्योगिक श्रम स्थिति सामान्य तौर पर शान्तिपूर्ण रही है। इस अवधि में मेसर्स जे0के0 जूट मिल, कानपुर, मेसर्स जे0के0 काटन मिल लि0, कानपुर, जो लगभग 20 वर्षों से बन्द थीं, को चालू करवाया गया। इसके अतिरिक्त मेसर्स मोदी रबर लि0, मोदीपुरम, मेरठ में बी0आई0एफ0आर0 के निर्देशानुसार लगभग 1100 श्रमिकों से समझौता कराकर मिल को दिनांक 11 जून, 2009 से चालू कराया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के लगभग 21 प्रतिष्ठानों में उत्पन्न औद्योगिक अशान्ति को हस्तक्षेप कर समझौते के माध्यम से समाप्त कराया गया।

2-औद्योगिक विवादों का निस्तारण

(1) वित्तीय वर्ष 2007-08 में श्रमिकों /श्रम संघों द्वारा उठाए गए 1967 औद्योगिक विवादों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 201 का निस्तारण समझौते द्वारा किया गया, 425 विवाद बलहीन पाए जाने के कारण निरस्त कर दिए गए, जबकि 1341 औद्योगिक विवादों को श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण को न्यायिक अभिनिर्णय हेतु संदर्भित किया गया।

(2) वित्तीय वर्ष 2008-09 में श्रमिकों /श्रम संघों द्वारा उठाए गए 1417 औद्योगिक विवादों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 120 का निस्तारण समझौते द्वारा किया गया, 274 विवाद बलहीन पाए जाने के कारण निरस्त कर दिए गए, जबकि 1023 औद्योगिक विवादों को श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण को न्यायिक अभिनिर्णय हेतु संदर्भित किया गया।

(3) वित्तीय वर्ष 2009-10 में श्रमिकों /श्रम संघों द्वारा उठाए गए 1496 औद्योगिक विवादों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 149 का निस्तारण समझौते द्वारा किया गया,547 विवाद बलहीन पाए जाने के कारण निरस्त कर दिए गए, जबकि 800 औद्योगिक विवादों को श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण को न्यायिक अभिनिर्णय हेतु संदर्भित किया गया।

(उक्त तीन वर्षों में 4880 वाद निस्तारित किए गए जिसमें 470 समझौते द्वारा, 1246 विवाद बलहीन होने के कारण निरस्त तथा 3164 श्रम न्यायालय/न्यायाधिकरण को न्यायिक अभिनिर्णय हेतु संदर्भित)

3-श्रमिकों के देयों/क्षतिपूर्ति का भुगतान

(1) न्यूनतम वेतन से कम भुगतान के प्रकरणों में वित्तीय वर्ष 2007-08 में 14155 श्रमिकों को अन्तर धन रू0 564.98 लाख, वित्तीय वर्ष 2008-09 में 17693 श्रमिकों को अन्तरधन रू0 718.30

लाख तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 में 11489 श्रमिकों को अन्तरधन रू0 502.92 लाख की धनराशि का भुगतान कराया गया।

(उक्त तीन वर्षों में 43337 श्रमिकों को रू0 1786.20 लाख की अन्तरधनराशि का भुगतान कराया गया)

(2) वेतन भुगतान के प्रकरणों में वित्तीय वर्ष 2007-08 में 3792 श्रमिकों को रू0 173.87 लाख, वित्तीय वर्ष 2008-09 में 4116 श्रमिकों को रू0 226.94 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 में 2149 श्रमिकों को रू0 110.52 लाख की धनराशि का भुगतान कराया गया।

(उक्त तीन वर्षों में 10057 श्रमिकों को रू0 511.33 लाख की धनराशि का भुगतान कराया गया)

(3) कर्मकार क्षतिपूर्ति के रूप में वित्तीय वर्ष 2007-08 में 1797 श्रमिकों को रू0 2781.54 लाख, वित्तीय वर्ष 2008-09 में 2102 श्रमिकों को रू0 3303.74 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 में 1849 श्रमिकों को रू0 3331.49 लाख की धनराशि क्षतिपूर्ति/प्रतिकर के रूप में भुगतान करायी गयी।

(उक्त तीन वर्षों में 5748 श्रमिकों को रू0 9416.77 लाख की धनराशि/क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया)

(4) ग्रेच्युटी के रूप में वित्तीय वित्तीय वर्ष 2007-08 में 573 श्रमिकों को रू0 157.93 लाख, वित्तीय वर्ष 2008-09 में 341 श्रमिकों को रू0 103.01 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 में 489 श्रमिकों को रू0 106.24 लाख की धनराशि का भुगतान कराया गया।

(उक्त तीन वर्षों में 1403 श्रमिकों को रू0 367.18 लाख की ग्रेच्युटी का भुगतान कराया गया)

(5) आलोच्य अवधि में बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत 9,95,775 श्रमिकों को बोनस के रूप में 46929 लाख रू0 की धनराशि का भुगतान कराया गया।

(6) यह भी उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त तीनों वर्षों में वादों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से विभाग द्वारा विशेष लोक अदालतों का आयोजन भी किया गया, जिनके माध्यम से वर्ष 2007-08 में कुल 2172 वाद निस्तारित कर 5174 श्रमिकों को रू0 427 लाख की धनराशि भुगतान करायी गयी। वर्ष 2008-09 में कुल 1220 वाद निस्तारित कर 3858 श्रमिकों को रू0 276 लाख की धनराशि भुगतान करायी गयी वर्ष 2009-10 में कुल 889 वाद निस्तारित कर 1804 श्रमिकों को रू0 172 लाख की धनराशि भुगतान करायी गयी।

4-विभिन्न नियोजनों में मजदूरी दरों का पुनरीक्षण

(1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कृषि एवं आनुषांगिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत शासकीय अधिसूचना दिनांक 01.08.2007 द्वारा मजदूरी की दैनिक दर रू0 100/ प्रतिदिन अथवा रू0 2600/प्रतिमाह पनरीक्षित. इससे लाखों कषि श्रमिक लाभान्वित होंगे।

(2) शासकीय अधिसूचना दिनांक 19.12.2008 द्वारा बीड़ी उद्योग में कार्यरत बीड़ी रोलर के लिए रू0 60/प्रति हजार बीड़ी की न्यूनतम दर निर्धारित, इससे लगभग 5 लाख बीड़ी श्रमिक लाभान्वित होंगे।

(3) शासकीय अधिसूचना दिनांक 17.12.2009 द्वारा चीनी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के वेतन में एकमुश्त रू0 500/प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी की गयी, जिससे लगभग 50000 श्रमिक लाभान्वित।

5-श्रम कल्याण

(1) उ0प्र0 में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र /पुत्रियों के प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर श्रम कल्याण परिषद उ0प्र0 द्वारा आर्थिक सहायता(छात्रवृत्ति) वितरण योजना के अन्तर्गत कुल 470 छात्र/छात्राओं को रू0 15.43 लाख की धनराशि वितरित की गयी।

(2) उ0प्र0 में कार्यरत श्रमिकों के हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट मेधावी पुत्र/पुत्रियों को श्रम कल्याण परिषद उ0प्र0 द्वारा पुरूस्कार राशि एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत कुल 726 छात्र/छात्राओं को रू0 8.35 लाख की धनराशि वितरित की गयी।

(3) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 को लागू करने के सम्बन्ध में प्रदेश में सम्बन्धित नियमावली प्रख्यापित कर दी गयी है और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के चिन्हांकन/पंजीकरण की कार्यवाही आरम्भ करते हुए कल्याण बोर्ड का गठन कर ऐसे श्रमिकों को अधिनियम के अन्तर्गत उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की कार्यवाही प्रभावी ढंग से प्रदेश में आरम्भ कर दी गयी है।

(4) प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है, उक्त अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वतंत्र रूप से एक अपर श्रमायुक्त की तैनाती भी कर दी गयी है।

(5) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित बीड़ी श्रमिकों के आवास निर्माण की योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2007-08 में 118 बीड़ी श्रमिकों को आवास निर्माण हेतु रू0 23.60 लाख का अनुदान/धनराशि का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कुल 235 बीड़ी श्रमिकों को आवास निर्माण हेतु रू0 47.00 लाख का अनुदान/धनराशि का भुगतान किया गया।

(6) श्रमायुक्त संगठन उ0प्र0 द्वारा इश्योरेन्स कम्पनियों के सहयोग से प्रदेश के दुकान/वाणिज्य अधिष्ठानों के सेवायोजकों /नियोजित श्रमिकों को पंचवर्षीय ''श्रम ज्योति दुर्घटना बीमा योजना'' से आच्छादित किया गया है। योजना के अन्तर्गत मात्र रू 100/ प्रीमियम पर रू0 1 लाख तथा रू0 200/

प्रीमियम पर रू0 2 लाख का दुर्घटना बीमा देय है। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में 52867 श्रमिकों एवं 38708 नियोजकों को बीमांकित किया गया तथा 48 दावों में रू0 41.50 लाख की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलायी गयी। वित्तीय वर्ष 2008-09 में 45238 श्रमिकों एवं 25558 नियोजकों को बीमांकित किया गया तथा 21 दावों में रू0 30.83 लाख की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलायी गयी। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 24323 श्रमिकों एवं 14253 नियोजकों को बीमांकित किया गया तथा 26 दावों में रू0 41.50 लाख की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दिलायी गयी।

5-बाल श्रम उन्मूलन

(1) **चिन्हांकन/पुनर्वासन-** गत 03 वर्षों में कुल 21197 बाल श्रमिक(13352 खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में तथा 7845 गैर खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में) चिन्हित किए गए। इनमें से 16162 बाल श्रमिकों को विद्यालयों में प्रवेश कराकर उनका शैक्षिक पुनर्वासन कराया गया। खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में चिन्हित बाल श्रमिकों के 1532 परिवारों को शासन की विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं से लाभान्वित कराया गया। 1818 नियोजकों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर किए गए और 1866 नियोजकों के विरूद्ध रू0 20000/प्रति बाल श्रमिक की दर से क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए। इस अवधि में नियोजकों से 104.20 लाख की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की गयी।

(2) **कण्डीशनल कैश ट्रांसफर योजना**- ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में राज्य सेक्टर से ऐसे बाल श्रमिकों जिनके परिवार में माता या पिता अथवा दोनों के गम्भीर रोगग्रस्त होने, अपाहिज होने, मृत्यु होने के कारण विवश होकर बाल श्रम करना पड़ता है, को शिक्षा से जोड़ने व उनकी कक्षा 5 पास करने तक निरन्तरता बनाए रखने के लिए प्रदेश के 10 जिलों क्रमशः मुरादाबाद, कानपुर नगर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, आजमगढ़, लखनऊ तथा सोनभद्र में 260 बाल श्रमिकों हेतु कण्डीशनल कैश ट्रांसफर योजना लागू की गयी है। येाजना के अन्तर्गत कक्षा में प्रवेश के समय रू0 3000/ तथा कक्षा उतीर्ण करने पर रू0 5000/ की आर्थिक सहायता तथा रू0 100/ प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। गत 03 वर्षों में रू0 21.59 लाख की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में तथा रू0 1.76 लाख की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गयी है। योजना से आवर्त किए गए 259 बाल श्रमिकों में से 34 बाल श्रमिक कक्षा 5 उतीर्ण कर चुके हैं।

(3) **बाल श्रम समस्या उन्मूलन परियोजना-** ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में राज्य सेक्टर से ऐसे जिलों जिनमें राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित नहीं है, में बाल श्रमिकों के चिन्हांकन हेतु सर्वेक्षण का कार्य चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष पांच जिलों में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में जे0पी0 नगर.

कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, अम्बेदकर नगर तथा बलिया में सर्वेक्षण कराया गया और कुल 36749 बाल श्रमिक चिन्हांकित किए गए। रू0 9.80 लाख की धनराशि व्यय की गयी। जे0पी0 नगर के लिए 48, अम्बेदकर नगर के लिए 40 एवं बलिया के लिए 21 विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों का प्रस्ताव शासन/भारत सरकार को प्रेषित। वित्तीय वर्ष 2008-09 में चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, झांसी तथा उरई-जालौन में सर्वेक्षण कराया गया और कुल 5209 बाल श्रमिक चिन्हांकित किए गए। रू0 3.62 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2009-10 में औरैया, मैनपुरी, हाथरस, हमीरपुर एवं गौतमबुद्धनगर में सर्वेक्षण कराया गया और कुल 9859 बाल श्रमिक चिन्हांकित किए गए। रू0 3.24 लाख की धनराशि व्यय की गयी। हाथरस के लिए 22 तथा गौतमबुद्धनगर के लिए 22 विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों का प्रस्ताव शासन/भारत सरकार को प्रेषित।

6-बंधुआ श्रम

बंधुआ श्रम प्रथा उन्मूलन हेतु भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत प्रत्येक चिन्हित/अवमुक्त बंधुआ श्रमिक को रू0 20000/ की धनराशि प्रदान की जाती है, इसमें रू0 10000/ केन्द्रांश व रू0 10000/ राज्यांश सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में 140 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन व 33 बंधुआ श्रमिकों को तात्कालिक सहायता के रूप में कुल रू0 28.30 लाख की धनराशि प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2008-09 में 80 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन व 26 बंधुआ श्रमिकों को तात्कालिक सहायता के रूप में कुल रू0 16.10 लाख की धनराशि दी गयी। वित्तीय वर्ष 2009-10 में 100 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन पर कुल रू0 20.00 लाख की धनराशि प्रदान की गयी।

7-राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 46 जिलों में संचालित है। इसके अन्तर्गत कुल स्वीकृत 2075 विद्यालयों में से वर्तमान में 1517 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 67988 बच्चे(33716 बालक एवं 34272 बालिकायें) अध्ययनरत हैं।

8-बैकलॉग की पूर्ति

विभाग में बैकलॉग की पूर्ति हेतु समूह ''ग'' के चिन्हित अनुसूचित जाति के 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के 09 पदों पर तथा समूह ''घ'' के चिन्हित अनुसूचित जाति के 04, अन्य पिछड़ा वर्ग के 07 पदों पर विभागीय चयन समिति के माध्यम से नियुक्तियां प्रदान की गयीं।

9-श्रम संघों का पंजीकरण

आलोच्य अवधि में कुल 220 नवगठित यूनियनों का पंजीकरण किया गया, जिनमें 136 संगठित क्षेत्र तथा 84 असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की ट्रेड यूनियन हैं।

10-पंजीयन/नवीनीकरण/लाइसेन्स से प्राप्त राजस्व

विभाग में विभिन्न श्रम अधिनियमों यथा उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट कर्मकार अधिनियम, बीड़ी सिगार कर्मकार अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम तथा अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन/नवीनीकरण/लाइसेन्स के लिए शुल्क प्राप्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में कुल रू0 5.65 करोड़, 2008-09 में रू0 5.39 करोड़, 2009-10(फरवरी) में रू0 4.24 करोड़ की धनराशि शुल्क के रूप में प्राप्त कर राजस्व में जमा की गयी।

श्रम

- राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की गयी। अब पुनरीक्षित दरों के अन्तर्गत 100 रु0 प्रतिदिन अथवा रु0 2600 मासिक कर दी गयी है। श्रम विभाग द्वारा उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अन्तर्गत प्रदेश स्थित दुकानों/वाणिज्य अधिष्ठानों का गत 03 वित्तीय वर्षों में किये गये पंजीयन/नवीनीकरण तथा इससे प्राप्त राजस्व का विवरण निम्न प्रकार है :–

अवधि	पंजीकृत प्रतिष्ठान		नवीनीकृत प्रतिष्ठान	
	संख्या	राजस्व	संख्या	राजस्व
01.04.07 से मार्च, 2008	31,053	3,17,77,197	28,278	2,32,74,278
01.04.08 से मार्च, 2009	19,927	2,83,76,318	28,788	2,37,51,906
01.04.09 से फरवरी, 2010	13,699	2,02,58,216	24,547	2,05,55,147

13352 बाल श्रमिकों का चिन्हांकन किया गया, दोषी सेवायोजकों के विरुद्ध 1818 अभियोजन दर्ज कराये गये और उनसे 104.20 लाख रु0 की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में वसूल की गयी। 1532 परिवारों को विभिन्न रोजगार योजनाओं से लाभान्वित किया गया। आर्थिक एवं शारीरिक रूप से अक्षम परिवारों को कंडीशनल कैश ट्रान्सफर योजना के अधीन 10 जिलों का चयन किया गया। इन चयनित प्रति जनपद 26 बाल श्रमिकों को 05 वर्षों में शिक्षा के लिए रु0 8,000/– की आर्थिक सहायता तथा 100 रु0 प्रति माह छात्रवृत्ति प्रति छात्र देने की व्यवस्था की गयी। बीड़ी श्रमिकों को आवासीय व्यवस्था के अन्तर्गत 353 श्रमिकों के लिए 60.60 लाख रु0 की धनराशि स्वीकृत की गयी। 320 बंधुआ श्रमिकों को चिन्हित कर पुनर्वासित कराया गया तथा 320 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वासन रु0 64.40 लाख की धनराशि व्यय करके किया गया।

- मजदूरों की श्रम ज्योति दुर्घटना जीवन बीमा योजना में 2 लाख रु0 की पॉच वर्षीय दुर्घटना बीमा कवर मात्र 200 रु0 की एकमुश्त प्रीमियम पर सुलभ कराया जा रहा है।
- इण्डस बाल श्रम परियोजना तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत 46 जनपदों में बाल श्रम विद्यालय संचालित, जिसमें 67988 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।
- बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण एवं पुनर्वासन की कार्यवाही। ऐसे चिन्हित बाल श्रमिक जो अत्यधिक विषम आर्थिक व पारिवारिक कठिनाइयों की ग्रस्तता के फलस्वरूप बाल श्रम हेतु विवश है।

उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए कण्डीशनल कैश ट्रान्सफर योजना प्रदेश के दस जनपदों में लागू। इस योजना में 05 वर्ष तक रु0 8,000/- की दर से आर्थिक सहायता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि बाल श्रमिक पॉच वर्ष तक निरन्तर स्कूल में शिक्षारत रहेगा।